संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांकः-/218/H.A/2014/C.8/ भोपाल दिनांक29/01/2014

//आदेश//

औषधि नीति, 2009 की कंडिका 6.3 के अनुसार 'पांच लाख से कम राशि के इक्यूपमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्रयकर्ता अधिकारी स्वयं क्रय कर सकेंगें । पांच लाख से अधिक राशि के इक्यूपमेंट, इंस्ट्रूमेंट का क्रय सक्षम अधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा'।

2. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के परिपत्र क्र/अ0प्रा0/सेल–3/2013/1290, दिनांक 11/10/2013 द्वारा शासकीय चिकित्सा संस्था के लिये निर्धारित न्यूनतम आवश्यक उपकरणों को तीन श्रेणी (वाईटल, ऐसेन्सियल एवं डिजायरेबल) में विभाजित किया गया है । देखने में यह आया है कि चिकित्सालयों में आवश्यक उपकरणों की कमी होने के बावजूद इनका समय पर क्रय नहीं हो पाता है क्योंकि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक प्रत्येक ऐसे उपकरण के लिये जो कि 5 लाख से अधिक का है, प्रकरणवार अनुमति संचालनालय से प्राप्त करते है एवं इस अनुमति की प्रक्रिया में विलम्ब होता है । विभाग द्वारा जांच एवं उपचार सेवाओं की गारंटी निश्चित की जा रही है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार के अनावश्यक प्रक्रियात्मक विलंब अब स्वीकार्य नहीं है ।

3. अतः औषधि नीति, 2009 की कंडिका 6.3 के अनुक्रम में रूपये 5 लाख से 10 लाख तक मूल्य के वाईटल एवं ऐसेन्सियल उपकरण क्रय करने की अनुमति एतद् द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को निम्नलिखित निर्धारित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

3.1) समस्त वायटल (Vital) उपकरण –

- संबंधित संस्था में उपकरण संबंधी ईकाई स्वीकृत हो ।
- संस्था में संबंधित उपकरण के उपयोग हेतु मानव संसाधन उपलब्ध हो ।
- उपकरण को स्थापित करने के लिये पर्याप्त स्थान हो ।
- उपकरण क्रय करने के लिये आवश्यक बजट उपलब्ध हो ।
- संस्था की संबंधित इकाई में, मांग किया गया उपकरण अनुपलब्ध हो ।
- मांग किया गया उपकरण पूर्व में भी स्थापित है किन्तु यह उपकरण अक्रियाशील एवं सुधार योग्य न हो तो सर्विस इंजीनियर या बायोमेडिकल इंजीनियर द्वारा कारण सहित (उदाहरण, उपकरण के स्पेयर पार्टस की अनुपलब्धता, निरन्तर खराब होना आदि) प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अपलेखन हेतु घोषित किया जाना अनिवार्य है । स्थापित उपकरण की उपयोग अवधि पूर्ण हो चुकी हो अथवा उसके सुधार पर होने वाली व्यय राशि नई मशीन के मूल्य का 25 प्रतिशत से अधिक है ।
- जो उपकरण संस्था की संबंधित ईकाई के लिये क्रय किया जा रहा है, वह उस ईकाई हेतु वायटल उपकरण सूची मे दर्शाई गई संख्या से अधिक न हो ।

निरंतर.................

3.2) **ऐसेन्सियल** (Essential) उपकरण –

- जिले की मुख्य संस्थाओं एवं संस्था विशेष में समस्त वायटल उपकरणों की पूर्ति हो चुकी हो ।
- वायटल उपकरणों हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करना अनिवार्य है ।
- संस्था विशेष में बेड ऑक्यूपेन्सी 60 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य होगा ।
- जो उपकरण संस्था की संबंधित ईकाई के लिये क्रय किया जा रहा है, वह उस ईकाई हेतु ऐसेन्सियल उपकरण सूची मे दर्शाई गई संख्या से अधिक न हो ।

3.3) रूपये दस लाख से अधिक मूल्य के वायटल एवं ऐसेन्सियल उपकरणों के क्रय हेतु संचालक अस्पताल प्रशासन से पूर्वानुसार अनुमति लिया जाना होगा ।

4) **डिजायरेबल** (Desirable) उपकरण –

- रूपये 5.00 लाख से अधिक मूल्य के डिजायरेबल उपकरणों के क्रय के लिए :–
  - संचालक अस्पताल प्रशासन से पूर्वानुसार अनुमति लिया जाना होगा।
  - डिजायरेबल उपकरण के क्रय हेतु वाईटल एवं ऐसेन्सियल उपकरण क्रय के लिये निर्धारित शर्तो का पालन के अतिरिक्त, संस्थाओं में समस्त वाईटल एवं ऐसेन्सियल उपकरण की पूर्ति भी अनिवार्य होगी ।

5) उपकरणों का क्रय :–

- औषधि नीति 2009, शासकीय क्रय नियमों तथा इस संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की उपार्जन शाखा द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर ही किया जाये ।
- विभिन्न कार्यक्रमों में प्रावधानित एवं विभिन्न मद (राज्य/एन0आर0एच0एम0 बजट) में प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार की सीमा में ही क्रय किया जाये ।

(स्वास्थ्य आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

29/1/14

कृते/ संचालक (अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांकः– 219/HA/2014/C-3/ भोपाल दिनांक 29/01/2014.

<u>प्रतिलिपि</u> :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4) समस्त संचालक , संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश ।
5) समस्त अतिरिक्त संचालक , संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश ।
6) समस्त क्षेत्रीय /संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7) समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
8) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
9) समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।

कृते/ संचालक (अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश